रजिस्टर्ड डाक द्वारा (6)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा।

पत्रांक 1008 / 35-3 **मथुरा, दिनांक** 09/09/ **2021.**

सेवा में,

रजिस्ट्रार
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
इण्डिया गेट कोपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय :– **श्री वेदप्रकाश शर्मा निवासी राया मथुरा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में जॉच आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयक प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 की प्रति आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा के पत्र दिनांक 26.07.2021 के साथ इस कार्यालय को दिनांक 04.08.2021 को प्राप्त हुयी। जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक 546/33–1 दिनांक 07.08.2021 से जॉच समिति गठित कर समिति को सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण और शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुनने के उपरान्त गहन विचार विर्मश कर विस्तृत जॉच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, तदोपरान्त गठित समिति द्वारा दिनांक 06.09.2021 को अपनी विस्तृत जॉच आख्या बिन्दुवार प्रस्तुत की गयी, जो निम्न प्रकार है–

"

क0सं0	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के बिन्दु	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश के कम मे आख्या
1	Grievance in this application is against cutting of heritage *Neem* tree in village Nagala Seeriya, Post Badon, Tehsil Maant, District Mathura, UP.	बिन्दु सं0–1 में अभ्यर्थी का कथन जॉच में असत्य पाया गया, प्रश्नगत स्थल पर नीम का विशाल पेड़ वर्तमान में भी यथास्थिति में हरा भरा खड़ा है।
2	According to the applicant the cutting of tree has been done by the Totaram alias Rajendra s/o Lakhimchand on 28.09.2019 through four labourers. Intimation was given to the Police and the axe in question was seized on the spot but thereafter no action has been taken. A complaint was given to the Range Officer, Baldev, Mathura named Puneet Shukla, who seized the cut branches of the tree to give a report to the Police Station Raya but not action was taken. Complaint has also been made at the publicgrievance portal on 19.11.2020 which has been disposed of on 28.11.2020 on the report of the Puneet Shukla.	बिन्दु सं0–2 में अभ्यर्थी का कथन जॉच में असत्य पाया गया,जॉच में अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत नीम का वृक्ष यथास्थिति में हरा भरा खड़ा है,(वृक्ष का छायाचित्र संलग्नक–1) दिनांक 28.09.2019 को सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना मॉट मौके पर पहुँची थी, किन्तु प्रश्नगत वृक्ष को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी थी, मौके पर किसी कुल्हाडी या अन्य किसी औजार को सीज नहीं किया गया था, सूचना के आधार पर ही वनदरोगा श्री पुनीत शुक्ला प्रश्नगत स्थल पर पहुचे तो मौके पर वृक्ष यथास्थिति में खड़ा था, वृक्ष की दो शाखें ऑधी पानी से स्वतः टूट गयी थी। कोई शाख काटी नहीं गयी थी। अतः वृक्ष की शाखों को सीज्ड किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था और न ही स्थानीय थाना मॉट अथवा थाना राया में उनके द्वारा कोई रिपोर्ट की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदोपरान्त अभ्यर्थी वेदप्रकाश शर्मा द्वारा जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत संदर्भ सं0–60000200150483/19.11.2020 दर्ज करायी गयी, जिसकी जॉच करके श्री पुनीत शुक्ला वनदरोगा राया सेक्शन रेंज बल्देव के द्वारा ...20 को निस्तारण किया गया। (संलग्नक–2) जॉच

(7)

		में स्पष्ट है कि उक्त वृक्ष उस समय भी यथास्थिति में हरा भरा खड़ा था। इसी क्रम में स्थानीय थाना मॉट मथुरा से, समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 से उनसे अपेक्षित बिन्दु पर आख्या मॉगी गयी। थाना मॉट द्वारा उक्त पत्र पर पृष्ठांकित अपनी आख्या दि0 24.08.2021 (संलग्नक–7) प्रेषित की गयी। जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.09.2019 को थाना हाजा पर पेड़ काटने के सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई कुल्हाड़ी सीज है।
3	In view of the above, we consider it appropriate to direct that the matter may be looked into by the District Forest Officer, Mathura and necessary action taken, following due process of law.	श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0– 129/2021 के क्रम में गठित समिति के द्वारा प्रकरण की जॉच में प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। दिनांक 12.08.2021 को समिति के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर नजरी नक्शा बनाया गया.(संलग्नक–3) स्थलीय निरीक्षण में पाया कि प्रश्नगत नीम का वृक्ष मौके पर हरा–भरा खड़ा हुआ है। खड़े वृक्ष के फोटो लिये गये (जो संलग्नक–1 है) मौके पर स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान श्री सुन्दर सिंह ग्राम प्रधान ककरारी विकास खण्ड राया एवं अन्य ग्रामीणों से मौखिक पूछताछ के साथ–साथ लिखित बयान लिये गये (संलग्नक–4 व 5) उक्त क्रम में समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के कार्यालय पत्रांक 105/33–1 दिनांक 09.08.2021 से आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा को अपना पक्ष रखने हेतु प्रथम नोटिस हस्तगत कराकर प्राप्ति हस्ताक्षर कराये गये, (संलग्नक–6) आवेदक द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना कोई लिखित बयान नहीं दिया गया। प्रतिउत्तर में मौखिक रूप से आवेदक द्वारा कहा गया कि मेरा कथन वही है जो मेरे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रस्तुत आवेदन में किया है। इसी क्रम में स्थानीय थाना मॉट मथुरा से, समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्राक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 से उनसे अपेक्षित बिन्दु पर आख्या मॉगी गयी। थाना मॉट द्वारा उक्त पत्र पर पृष्ठांकित अपनी आख्या दि0 24.08.2021 (संलग्नक–7) प्रेषित की गयी। जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.09.2019 को थाना हाजा पर पेड़ काटने के सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई कुल्हाड़ी सीज है। इसी क्रम में आवेदित वेदप्रकाश शर्मा को जॉच समिति अध्यक्ष द्वारा अपने पत्रांक 147/35–3 दि0–02.09.2021 से द्वितीय नोटिस (संलनक–8) हस्तगत कराया गया। जिस पर आवेदक द्वारा दि0–03.09.2021 को अपना लिखित अभिकथन जॉच समिति अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर दिया गया जो संलग्न है। (संलग्नक–9) उपरोक्त जॉच कार्यवाही के दौरान समिति द्वारा अभिलेखों का गहन परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ और लिये गये लिखित बयान, आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा का पक्ष सुनने तथा उनके द्वारा दिये गये लिखित अभिकथन पर पुनः दिनांक 04.09.2021 को स्थलीय निरीक्षण कर अभिकथन का भलीभॉति परीक्षण किया गया तथा थाना मॉट से अपेक्षित बिन्दु पर प्राप्त आख्या इत्यादि पर गहन विचार विमर्श

		उपरान्त आलोकित हुआ कि आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा के सभी कथन असत्य है। प्रश्नगत नीम के वृक्ष को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी है। प्रश्नगत नीम के वृक्ष की दो शाखें तत्समय दिनांक 28.09.2019 को आँधी पानी से स्वतः टूट गयी थी, जिन्हें राजेन्द्र प्रकाश उर्फ तोताराम ने उठाकर रख लिया था। जिनके चिन्ह अब भी स्पष्ट रूप से खडे वृक्ष पर दिखाई दे रहे हैं वृक्ष की टूटी शाखों को उठाकर रखना व उन्हें छाटना कोई अपराध नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत नीम का वृक्ष उनके खेत में खड़ा है। आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा और प्रतिपक्षी श्री राजेन्द्र उर्फ तोताराम के मध्य देवस्थान की भूमि को लेकर आपस में विवाद है। इसलिए आवेदक द्वारा तथ्यहीन गलत शिकायत की गयी। आवेदक द्वारा की गयी शिकायत के सभी तथ्य असत्य पाये गये। अतः प्रकरण में नियमानुसार कोई विधिक कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

गठित समिति के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई देल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों, अभिलेखों पर गहन विचार विमर्श कर तथा सभी पक्षों को सुनने के बाद उनका परीक्षण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायतकर्ता श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सभी तथ्य असत्य पाये गये । अतः प्रकरण/शिकायत को पंजी कर निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।"

इस प्रकार गठित जॉच समिति के द्वारा उक्त शिकायत असत्य पायी गयी है, जॉच समिति ने जॉच में स्पष्ट करते हुये संस्तुति की है कि आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा दिये गये सभी कथन असत्य पाये गये तथा प्रकरण में नियामानुसार कोई विधिक कार्यवाही किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तदानुसार जॉच समिति द्वारा आवेदक के पक्ष को सुनते हुये स्थलीय निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण तथा लिये गये बयान इत्यादि के साथ संस्तुति सहित प्रस्तुत जॉच आख्या के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के कम में प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। जॉच समिति की जॉच आख्या दिनांक 06.09.2021 समस्त संलग्नकों सहित संलग्न कर निस्तारण आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0 129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में सूचनार्थ सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / **दिनांकित ।**

प्रतिलिपि—श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रीतिराम शर्मा निवासी मॉट रोड, गली बट्टूमल के पास, राया मथुरा को उनके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में किये गये आवेदन के कम में सूचनार्थ प्रेषित

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

(9)

कार्यालय जॉच समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा।

श्री वेदप्रकाश शर्मा निवासी राया, मथुरा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में कृत कार्यवाही–

क्रमांक	दिनांक	प्रकरण में कृत कार्यवाही का विवरण
1	04.08.2021	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 की एक प्रति आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड डाक से प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग मथुरा के कार्यालय में दिनांक 04.08.2021 को प्राप्त हुयी।
2	07.08.2021	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग मथुरा के द्वारा पत्रांक 546/33–1 दिनांक 07.08.2021 से जॉच समिति का गठन किया गया।
3	09.08.2021	(क)–जॉच समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के पत्रांक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 से, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश के बिन्दु सं0–2 में पुलिस से अपेक्षित आख्या देने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना नॉट को पत्र प्रेषित किया गया। (ख)–जॉच समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के पत्रांक 105/33–1 दिनांक 09.08.2021 से आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा को दिनांक 10.08.2021 को नोटिस हस्तगत कराकर प्रकरण में अपना कथन देने हेतु कहा गया। प्रतिउत्तर में उनके द्वारा कहा गया कि मेरा कथन वही है, जो मेने एन0जी0टी0 में प्रस्तुत किया है।
4	12.08.2021	जॉच समिति द्वारा दिनांक 12.08.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर नजरी नक्शा बनाया गया तथा प्रश्नगत वृक्ष के फोटोग्राफ लिये गये तथा मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह व अन्य ग्रामीणों से मौखिक पूछताछ के साथ–2 उनके लिखित बयान लिये गये। आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा के द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में कोई लिखित जवाव नहीं दिया गया।
5	24.08.2021	जॉच समिति के द्वारा प्रेषित पत्रांक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 के प्रतिउत्तर में पुलिस थाना मॉट से उक्त पत्र पर पृष्ठांकित आख्या प्राप्त हुयी।
6	02.09.2021	आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा को अपना अभिकथन देने हेतु नोटिस दिनाक 02.09.2021 हस्तगत कराया गया।
7	03.09.2021	आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा के द्वारा दिनांक 03.09.2021 को अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया।
8	04.09.2021	जॉच समिति के द्वारा दिनांक 04.09.2021 को पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया।
9	06.09.2021	जॉच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण, मौके पर लिये गये बयान तथा आवेदक के पक्ष को सुनते हुये एवं पुलिस थाना मॉट से प्राप्त आख्या इत्यादि पर गहन विचार विर्मश उपरान्त संस्तुति सहित अपनी आख्या प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग मथुरा को प्रस्तुत की गयी

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
(अमर चन्द)	(प्रवीण तिवारी)	(प्रभाकान्त पाण्डेय)
वनदरोगा बल्देव रेंज।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव।	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा सा0वा0 प्रभाग,मथुरा।
पंत्राक / मथुरा, दिनांक .2021.

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषय :– **श्री वेदप्रकाश शर्मा निवासी राया मथुरा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में जॉच आख्या के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– **आपकी पत्र सं0–546/33–1 दिनांक 07.08.2021 से जारी समिति गठन आदेश।**

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में आपके कार्यालय के संदर्भित आदेश से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का गहन परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण करते हुये उपलब्ध स्थानीय व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ के साथ–साथ लिखित बयान लेने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा गहन विचार विर्मश किये जाने पर प्रकरण में निम्न तथ्य प्रकाश में आये है–

क0सं0	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के बिन्दु	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश के कम में आख्या
1	Grievance in this application is against cutting of heritage *Neem* tree in village Nagala Seeriya, Post Badon, Tehsil Maant, District Mathura, UP.	बिन्दु सं0–1 में अभ्यर्थी का कथन जॉच में असत्य पाया गया,प्रश्नगत स्थल पर नीम का विशाल पेड़ वर्तमान में भी यथास्थिति में हरा भरा खड़ा है।
2	According to the applicant the cutting of tree has been done by the Totaram alias Rajendra s/o Lakhimchand on 28.09.2019 through four labourers. Intimation was given to the Police and the axe in question was seized on the spot but thereafter no action has been taken. A complaint was given to the Range Officer, Baldev, Mathura named Puneet Shukla, who seized the cut branches of the tree to give a report to the Police Station Raya but not action was taken. Complaint has also been made at the publicgrievance portal on 19.11.2020 which has been disposed of on 28.11.2020 on the report of the Puneet Shukla.	बिन्दु सं0–2 में अभ्यर्थी का कथन जॉच में असत्य पाया गया,जॉच में अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत नीम का वृक्ष यथास्थिति में हरा भरा खड़ा है,(वृक्ष का छायाचित्र संलग्नक–1) दिनांक 28.09.2019 को सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना मॉट मौके पर पहुँची थी, किन्तु प्रश्नगत वृक्ष को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी थी, मौके पर किसी कुल्हाडी या अन्य किसी औजार को सीज नहीं किया गया था, सूचना के आधार पर ही वनदरोगा श्री पुनीत शुक्ला प्रश्नगत स्थल पर पहुचे तो मौके पर वृक्ष यथास्थिति में खड़ा था, वृक्ष की दो शाखें ऑधी पानी से स्वतः टूट गयी थी। कोई शाख काटी नहीं गयी थी। अतः वृक्ष की शाखों को सोज्ड किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था और न ही स्थानीय थाना मॉट अथवा थाना राया में उनके द्वारा कोई रिपोर्ट की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदोपरान्त अभ्यर्थी वेदप्रकाश शर्मा द्वारा जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत संदर्भ स0–60000200150483/19.11.2020 दर्ज करायी गयी, जिसकी

		जॉच करके श्री पुनीत शुक्ला वनदरोगा राया सेक्शन रेंज बल्देव के द्वारा दिनांक 28.11.2020 को निस्तारण किया गया। (संलग्नक–2) जॉच में स्पष्ट है कि उक्त वृक्ष उस समय भी यथास्थिति में हरा भरा खड़ा था। इसी क्रम में स्थानीय थाना मॉट मथुरा से, समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 से उनसे अपेक्षित बिन्दु पर आख्या मॉगी गयी। थाना मॉट द्वारा उक्त पत्र पर पृष्ठांकित अपनी आख्या दि0 24.08.2021 (संलग्नक–7) प्रेषित की गयी। जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.09. 2019 को थाना हाजा पर पेड़ काटने के सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई कुल्हाड़ी सीज है।
3	In view of the above, we consider it appropriate to direct that the matter may be looked into by the District Forest Officer, Mathura and necessary action taken, following due process of law.	श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0सं0– 129/2021 के क्रम में गठित समिति के द्वारा प्रकरण की जॉच में प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। दिनांक 12.08.2021 को समिति के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर नजरी नक्शा बनाया गया,(संलग्नक–3) स्थलीय निरीक्षण में पाया कि प्रश्नगत नीम का वृक्ष मौके पर हरा–भरा खड़ा हुआ है। खड़े वृक्ष के फोटो लिये गये (जो संलग्नक–1 है) मौके पर स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान श्री सुन्दर सिंह ग्राम प्रधान ककरारी विकास खण्ड राया एवं अन्य ग्रामीणों से मौखिक पूछताछ के साथ–साथ लिखित बयान लिये गये (संलग्नक–4 व 5) उक्त क्रम में समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के कार्यालय पत्रांक 105/33–1 दिनांक 09.08.2021 से आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा को अपना पक्ष रखने हेतु प्रथम नोटिस हस्तगत कराकर प्राप्ति हस्ताक्षर कराये गये. (संलग्नक–6) आवेदक द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना कोई लिखित बयान नहीं दिया गया। प्रतिउत्तर में मौखिक रूप से आवेदक द्वारा कहा गया कि मेरा कथन वही है जो मेरे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रस्तुत आवेदन में लिया है। इसी क्रम में स्थानीय थाना मॉट मथुरा से, समिति अध्यक्ष/उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 104/33–1 दिनांक 09.08.2021 से उनसे अपेक्षित बिन्दु पर आख्या मॉगी गयी। थाना मॉट द्वारा उक्त पत्र पर पृष्ठांकित अपनी आख्या दि0 24.08.2021 (संलग्नक–7) प्रेषित की गयी। जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.09.2019 को थाना हाजा पर पेड़ काटने के सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई कुल्हाडी सीज है। इसी क्रम में आवेदित वेदप्रकाश शर्मा को जॉच समिति अध्यक्ष द्वारा अपने पत्रांक 147/35–3 दि0–02.09.2021 से द्वितीय नोटिस (संलग्नक–8) हस्तगत कराया गया। जिस पर आवेदक द्वारा दि0–03.09.2021 को अपना लिखित अभिकथन जॉच समिति अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर दिया गया जो संलग्न है। (संलग्नक–9) उपरोक्त जॉच कार्यवाही के दौरान समिति द्वारा अभिलेखों का

(12)

		गहन परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ और लिये गये लिखित बयान, आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा का पक्ष सुनने तथा उनके द्वारा दिये गये लिखित अभिकथन पर पुनः दिनांक 04.09.2021 को स्थलीय निरीक्षण कर अभिकथन का भलीभॉति परीक्षण किया गया तथा थाना मॉट से अपेक्षित बिन्दु पर प्राप्त आख्या इत्यादि पर गहन विचार विर्मश उपरान्त आलोकित हुआ कि आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा के सभी कथन असत्य है। प्रश्नगत नीम के वृक्ष को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी है। प्रश्नगत नीम के वृक्ष की दो शाखें तत्समय दिनांक 28.09.2019 को आँधी पानी से स्वतः टूट गयी थी, जिन्हें राजेन्द्र प्रकाश उर्फ तोताराम ने उठाकर रख लिया था। जिनके चिन्ह अब भी स्पष्ट रूप से खडे वृक्ष पर दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष की टूटी शाखों को उठाकर रखना व उन्हें छाटना कोई अपराध नहीं हैं। क्योंकि प्रश्नगत नीम का वृक्ष उनके खेत में खड़ा है। आवेदक श्री वेदप्रकाश शर्मा और प्रतिपक्षी श्री राजेन्द्र उर्फ तोताराम के मध्य देवस्थान की भूमि को लेकर आपस में विवाद है। इसलिए आवेदक द्वारा तथ्यहीन गलत शिकायत की गयी। आवेदक द्वारा की गयी शिकायत के सभी तथ्य असत्य पाये गये। अतः प्रकरण में नियमानुसार कोई विधिक कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

गठित समिति के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों, अभिलेखों पर गहन विचार विमर्श कर तथा सभी पक्षों को सुनने के बाद उनका परीक्षण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायतकर्ता श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सभी तथ्य असत्य पाये गये । अतः <u>प्रकरण/शिकायत</u> को पंजी कर निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है ।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
(अमर चन्द)	(प्रवीण तिवारी)	(प्रभाकान्त पाण्डेय)
वनदरोगा बल्देव रेंज।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव।	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।

प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बल्देव

संलग्नक-1

(13)

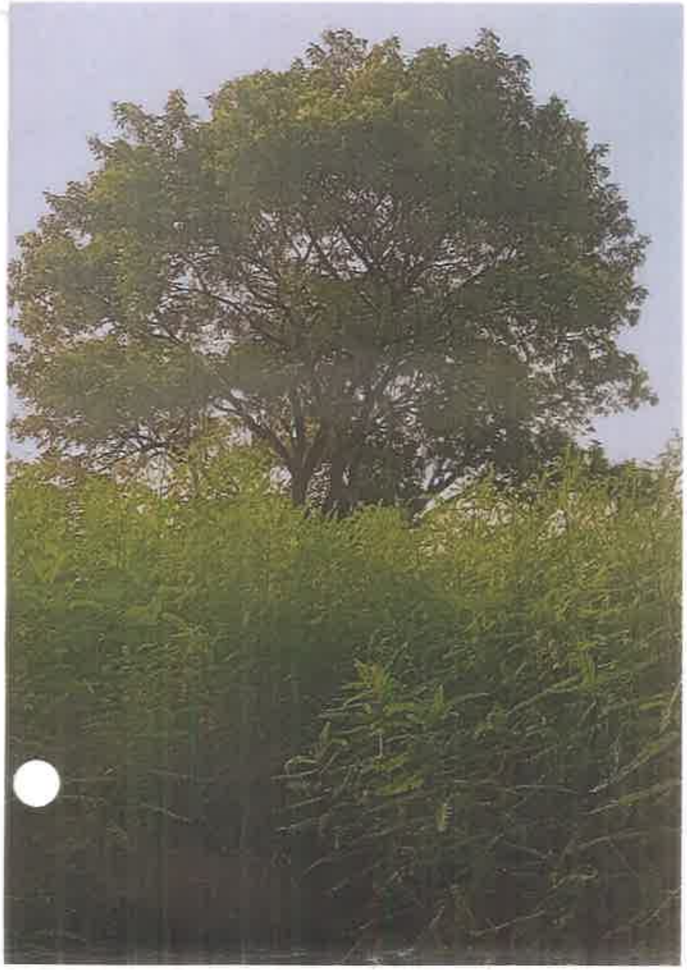

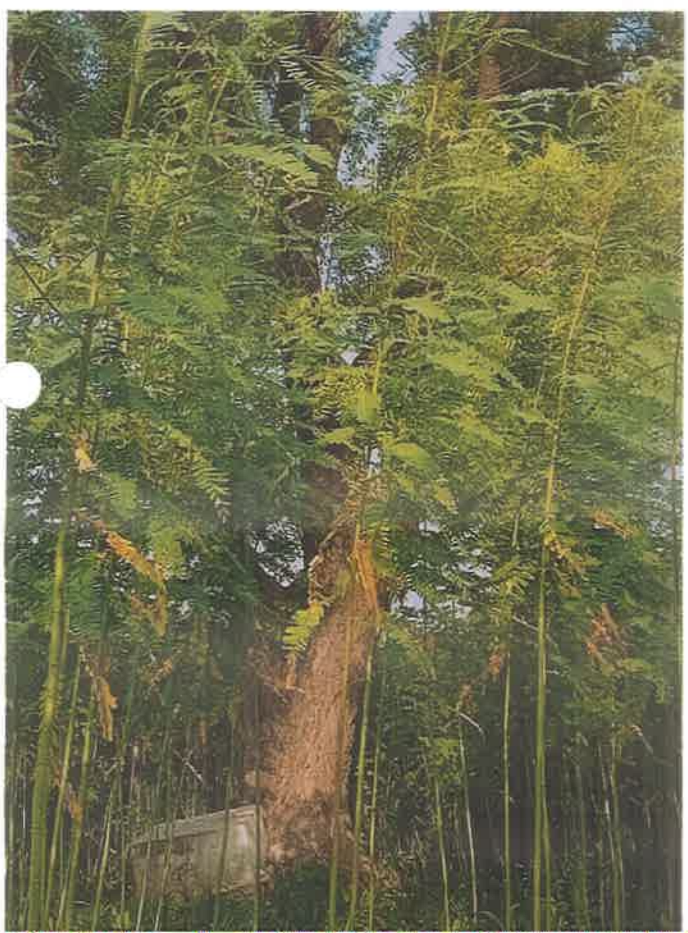

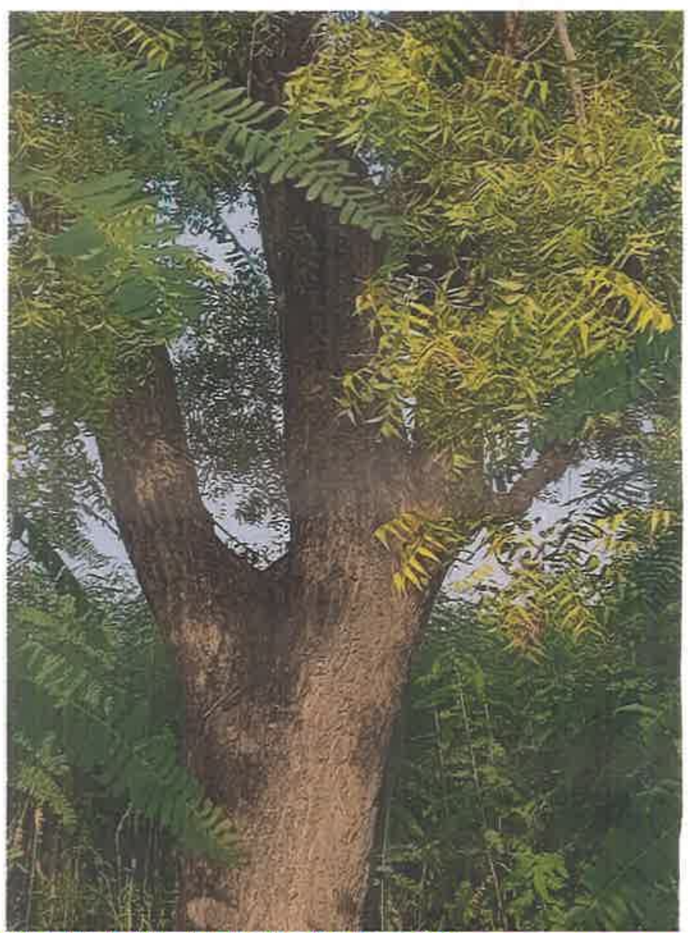

संलग्नक – 2

(14)

जॉच आख्या का प्रारूप

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ...बल्देव...... सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

दिनॉक 26/11/2020

पत्रांक 131 /33-1

सदर्भ सख्या	60000200150483 / 19-11-2020
सुनने वाले अधिकारी का नाम	श्री पुनीत कुमार शुक्ला
सुनने वाले अधिकारी का पद नाम	वनविद राधासंरक्षण
सुनने वाले अधिकारी का मोबाईल नम्बर	7906220722
सुनने का दिनॉक	28/11/2020
सुने गये व्यक्ति का नाम	वेद प्रकाश शर्मा
सुने गये व्यक्ति का मोबाईल नम्बर	9927685069
क्या राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है।	हॉ

नोट—कृप्या जॉच के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित 2 गवाहो के नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करें।कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गवाह पूर्व में किसी अन्य प्रकरण पर गवाही न दिया हो

निस्तारण आख्या

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भ संख्या 60000200150483 पर श्री पदमादत्त पाण्डे य वनरक्षक 5 के साथ मौके पर गया और पाया कि शिकायत में वर्णित नीम का वृक्ष मौके पर खड़ा हुआ है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त जमीनी विवाद है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अत: शिकायत को पंजी करने की कृपा करें।

पुनीत शुक्ला
वनविद राधासंरक्षण

गवाह 1- सोहनलाल -
2- जगदीश प्रसाद -

उपरोक्त शिकायत की जॉच वनविद राधासंरक्षण द्वारा की गयी है जिससे मैं सहमत हूं अत: शिकायत को पंजी करने की संस्तुति की जाती है

प्रवीण तिवारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बल्देव

निस्तारण का दिनॉक 28-11-2020

प्रतिलिपि प्रार्थी का नाम...वेद प्रकाश शर्मा......पिता का नाम..........निवासी....बलदेव...तहसील...महावन........जनपद मथुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक महोदय सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी बल्देव की जांच आख्या से सहमत हूँ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

प्रवीण तिवारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी

(15)

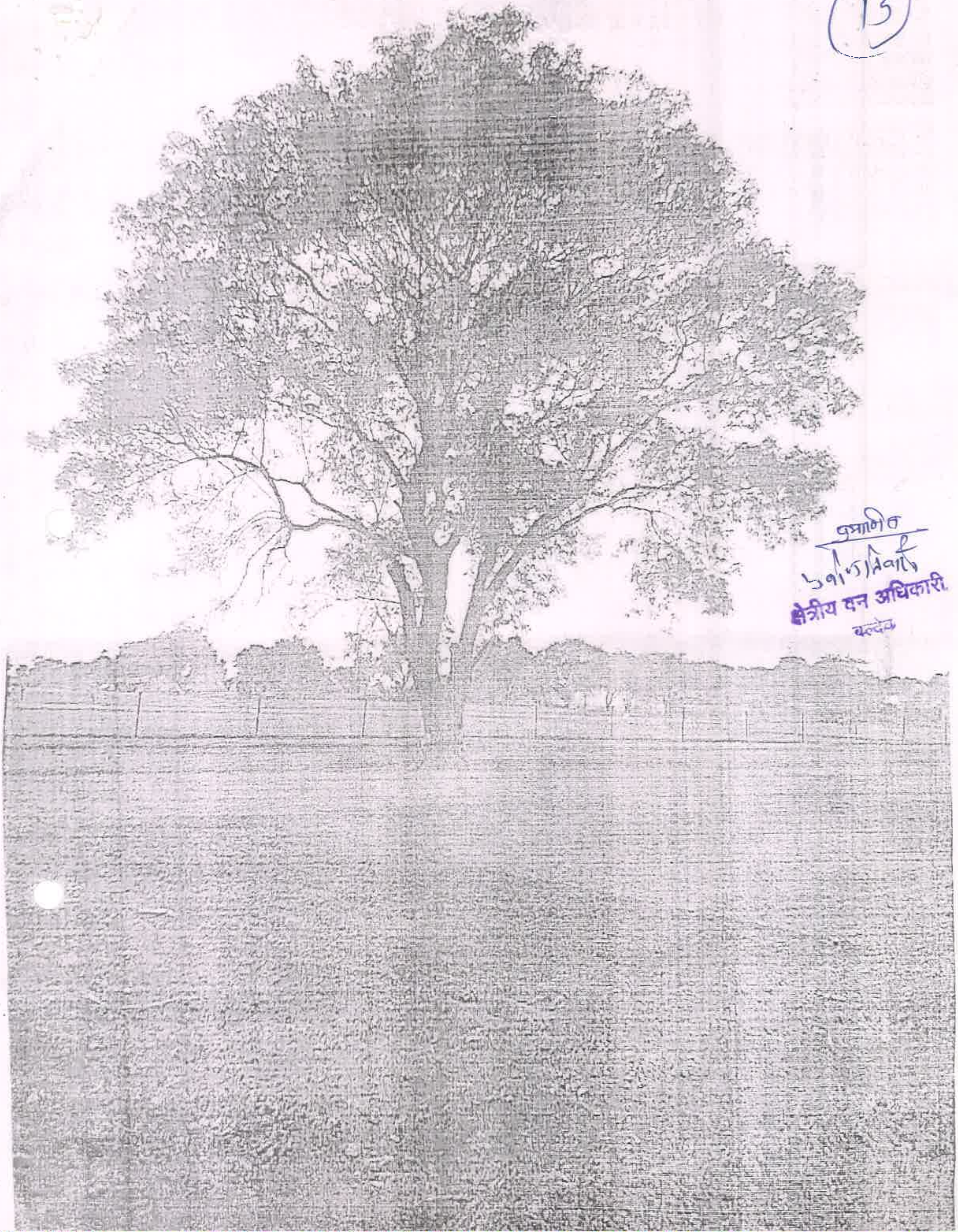

प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बल्देव

संलग्नक — 3

(16)

नजरी नक्शा

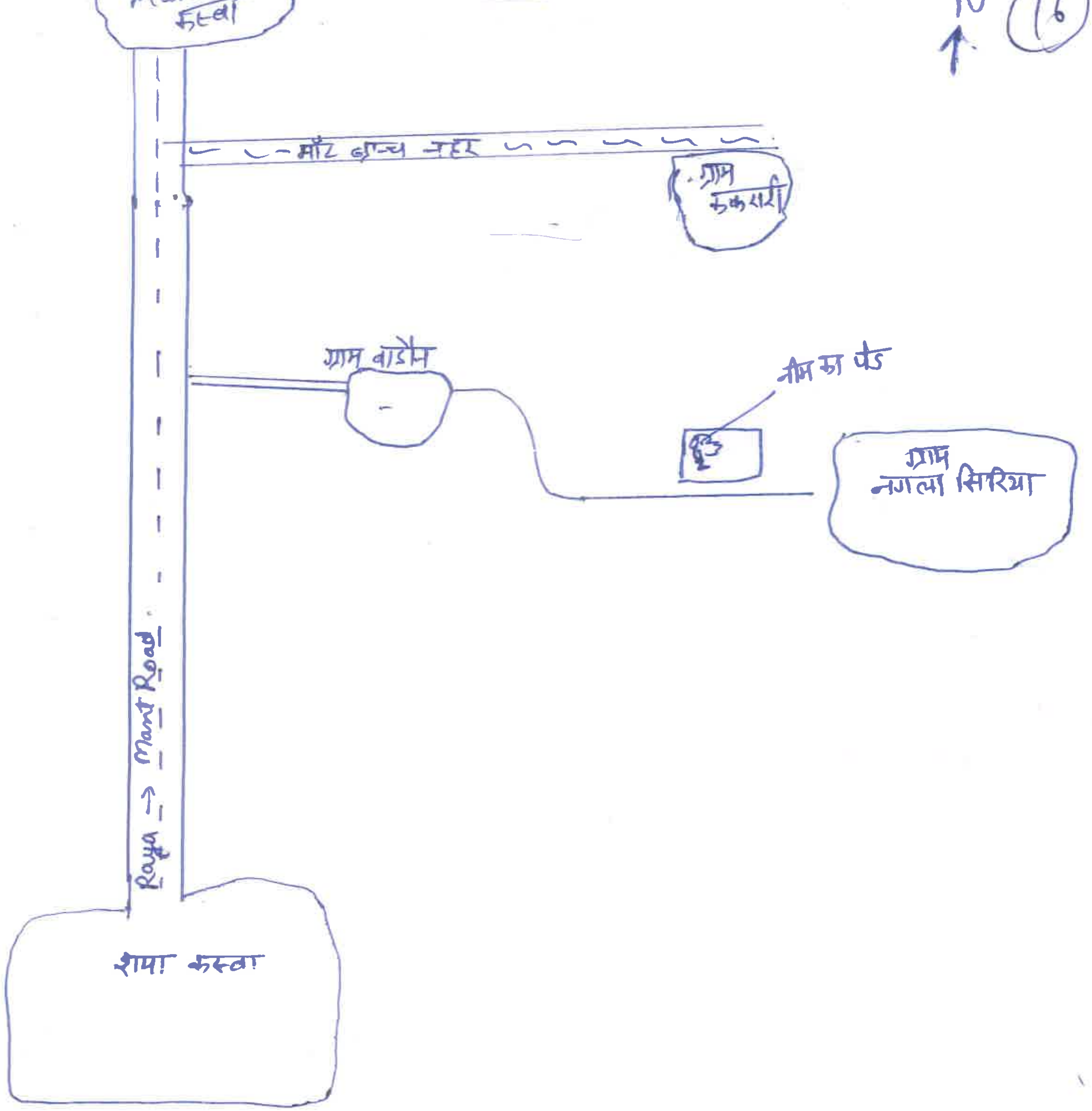

नजरी नक्शा मेरे द्वारा मौके पर बनाया गया

पुनीत शुक्ला
(वनबि० रायासम्जम)

(अमरचन्द)
वनदरोगा

प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बल्देव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० वन प्रभाग
मथुरा

संलग्नक - 4

(17)

।। जय श्री दाऊबाबा ।।

ग्राम पंचायत ककरारी, वि0 ख0 राया, जिला-मथुरा

'प्रधान'

सुन्दर सिंह

कार्यालय :
लोहागढ़, पोस्ट सरदारगढ़
वि. ख. राया, तह. माँट, जिला-मथुरा
मो. 9719220066

क्रमांक 20

दिनांक 12/08/2021

प्रमाणित किया जाता है। कि राजेन्द्र प्रसाद उर्फ तोता पुत्र स्व॰ श्री लक्ष्मी चन्द गाँव नगला सिरिया ककरारी राया मथुरा के खेत खसरा नं॰ - 342/2 मे एक विशालकाय हरा नीम का पेड वर्तमान में खडा हुआ है।

वेद प्रकाश शर्मा एव राजेन्द्र प्रसाद का देवस्थान को लेकर जमीनी विवाद है।

सुन्दर सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत ककरारी
वि0 ख0 राया (मथुरा)
सुन्दर सिंह

(ओमप्रकाश / वन दरोगा) क्षेत्रीय वन अधिकारी
बल्देव

सुनीता शुक्ला
वनविद राया

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा0 वा0 वन प्रभाग
मथुरा

संलग्नक- 5

(18)

बयान

श्री राजेन्द्र प्रसाद उर्फ तोता पुत्र स्व० श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम नगला सिरिया ककरारी के खेत खसरा सं० 3442 में एक विशालकाय हरा नीम का पेड वर्तमान में खड़ा हुआ है। वेदप्रकाश शर्मा एवं राजेन्द्र प्रसाद का देवस्थान को लेकर जमीनी विवाद है।

गवाह के नाम

(1) रेशम सिंह पुत्र रामचरन

(2) देवी सिंह पुत्र चुन्नीलाल

(3) अनीश कुमार पुत्र किशनस्वरूप

पुनीत शुक्ला
वन विद राधास्वरूप

(अमरनाथ)
वन दरोगा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बल्देव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० वन प्रभाग
मथुरा

बयान

(19)

मैं राजेन्द्र उर्फ तोताराम पुत्र लखमीचन्द्र नगला सिरिया थाना-मांट तहसील-मांट जिला मथुरा के मूल निवासी हूँ। ग्राम नगला सिरिया में मेरी कृषि भूमि है जिस पर मैं कृषि कार्य करता हूँ। दिनांक 12-8-21 को वन विभाग की जाँच टीम ग्राम में स्थित मेरे खेत पर आई और मुझे बताया कि मेरे खिलाफ वेद प्रकाश शर्मा निवासी मांट रोड राया मथुरा ने पेड़ को काटने की शिकायत आ० एन० जी० टी० में की गयी है जिसकी पत्री मुझे दिखाई गयी और पढ़कर बताया कि मेरे द्वारा नीम का पेड़ काटा गया है। इस विषय में मेरा बयान यह है कि शिकायत में दर्शाया गया नीम का पेड़ अब भी मेरे खेत में हरा-भरा खड़ा है मेरे द्वारा कोई पेड़ या कोई पेड़ की डाल नही काटी गयी है दिनांक 12-9-19 को आँधी पानी से इस नीम की दो शाखा आपस टूट गयी थी। जो मेरे खेत में गिरी थी जो मेरे खेत को जोतने व बोने में परेशानी दे रही थी इसलिए कि मेरे द्वारा स्वतः टूटी डालो को छाटकर उठाकर रखा जा रहा था तो वेदप्रकाश शर्मा द्वारा 100 नम्बर पर पुलिस को वन विभाग को शिकायत दर्ज की गयी वन विभाग वाले और पुलिस वाले मौके पर आये थे और शिकायत झूठी होने पर कोई कार्यवाही नही की गयी और मेरे खेत में खड़े नीम के पेड़ के नीचे वेदप्रकाश द्वारा कुछ ईट पत्थर लाकर रख दिये है और मुझे परेशान करता रहता है और कहता है कि नीम के पेड़ के नीचे मेरे देवताओ का स्थान है इस बहाने हमारे खेत पर कब्जा करना चाहता है और कहता कि मैं तुम्हे इस जगह पर कुछ नही करने दूगाँ। मैं तुमको ऐसे ही झूठे केसो मे फसाता रहूगा। जबकि वह खुद भूमिहीन है इसी कारण इसके द्वारा झूठी शिकायते मेरे खिलाफ करता रहता है और अनावश्यक रूप से परेशान करता रहता है यही मेरे सच्च-सच्च और शपथ पूर्वक वचन है ईश्वर मेरी मदद करे।

(हस्ताक्षर)
(अमरचन्द वनविद)

(हस्ताक्षर)
(प्रवीण तिवारी)

(हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वानिकी प्रभाग

बयान कर्ता
रा० (?) स्वप्रमाद

संलग्नक - 6 (20)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी **मथुरा** सा0वा0 प्रभाग,मथुरा।

पंत्राक 105 /33-1 मथुरा, दिनांक 09/08/**2021.**

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रीतिराम शर्मा
नि0–मॉट रोड, गली बट्टूमल के पास,राया,
जिला–मथुरा।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में की जा रही जॉच के सम्बन्ध में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के सम्बन्ध में।**

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में आप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख/प्रमाणकों एवं अन्य तथ्यों के साथ नोटिस प्राप्ति के दो दिन के अन्दर प्रकरण में अपना पक्ष लिखित रूप में रखना सुनिश्चित करें।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मथुरा।

एक प्रति प्राप्त की

वेद प्रकाश शर्मा
10/8/2021

संलग्नक-7 (21)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा सा0वा0 प्रभाग,मथुरा।

पंत्राक 104 /33-1 मथुरा, दिनांक 09/08/2021.

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना मॉट,मथुरा।

विषय :- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में आपसे अपेक्षित आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रीतिराम शर्मा नि0–मॉट रोड, गली बट्टूमल के पास,राया,जिला–मथुरा के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 की एक प्रति इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही है कि पारित आदेश के बिन्दु सं0–2 में रेखांकित बिन्दु पर आख्या आपके थाने से अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में रेखांकित बिन्दु पर अपनी आख्या यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे अनुपालन आख्या यथाशीघ्र मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः–पारित आदेश की प्रति।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मथुरा।

रिपोर्ट थाना मॉट (मथुरा)

श्रीमान जी,
दिनांक 28/9/19 को थाना क्षेत्र में पेड काटने के सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई कुल्हाडी जब्त है

[illegible]

संलग्नक- 8

(22)

द्वितीय नोटिस

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा सा0वा0 प्रभाग,मथुरा।

पंत्राक 147/35-3 मथुरा, दिनांक 2/09/.2021.

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रीतिराम शर्मा
नि0–मॉट रोड, गली बट्टूमल के पास,राया,
जिला–मथुरा।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0–129/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 के अनुपालन में की जा रही जॉच के सम्बन्ध में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के सम्बन्ध में द्वितीय नोटिस।**

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में आप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख/प्रमाणकों एवं अन्य तथ्यों के साथ नोटिस प्राप्ति के दो दिन के अन्दर प्रकरण में अपना पक्ष लिखित रूप में रखना सुनिश्चित करें।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मथुरा।

एक प्रति प्राप्त की
वेद प्रकाश शर्मा
2/9/2021

संलग्नक - 9

(23)

सेवा में,

श्रीमान् जिला वन अधिकारी महोदय,
जनपद–मथुरा।

विषयः **गांव नगला सिरिया थाना मांट तहसील मांट वनक्षेत्र बल्देव में दबंगों द्वारा देवस्थान के विशालकाय नीम के वृक्ष की शाखायों (45 से 47 से0 व्यास) को काटने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मैं बयान करता हूँ कि दिनांकः 22–09–2020 को प्रातः राजेन्द्र उर्फ तोता पुत्र लख्मी चन्द निवासी नगला सिरिया थाना मांट तहसील मांट जनपद मथुरा, ने हमारे देवस्थान को नष्ट करने की नीयत से विशालकाय नीम के पेड़ को काटा व देवस्थान को तोड़ा। जब प्रार्थीगणों को मालूम हुआ तो तुरन्त यू0पी0 112 नम्बर पर पुलिस को फोन किया व घटना स्थल पर पहुँचे, तब तक नीम के पेड़ की तीन **45 से 47 से0 व्यास की शाखायें काटकर नीचे गिरा दीं गयी** व चौथी शाखा को आधी कटी हुई छोड़कर भाग गये जोकि आधी कटी हुई शाखा पेड़ पर अभी भी खड़ी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से कुल्हाड़ी, 1 बॉक) बरामद किया और प्रार्थीगणों को अपने साथ थाने ले गयी प्रार्थीगणों से शिकायती पत्र लिखवाकर ले लिया। कुल्हाड़ी व बॉक थाने में जमा कर लिया और आश्वस्त किया गया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद तारीख 30–09–2020 को वन विभाग बल्देव रेंज के अधिकारी मथुरा कार्यालय जाकर शिकायती पत्र दिया। दूसरे दिन पुनीत शुक्ला नाम के अधिकारी अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर राया से प्रार्थी वेदप्रकाश शर्मा व जयनारायन शर्मा व प्रेम शर्मा के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और अपने साथी के द्वारा कटी हुई शाखाओं की नाप करायी तथा अपने पास रिकॉर्ड में लिखी, इसके बाद पुनीत शुक्ला अपने साथी के साथ राजेन्द्र पुत्र लख्मीचन्द के घर गये राजेन्द्र के घर पर न मिलने से वापिस राया तक प्रार्थीगणों के साथ आये **प्रार्थियों को पुनीत शुक्ला जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि मैं अभी राया थाना में राजेन्द्र पुत्र लखीचन्द्र के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराऊँगा और कटी हुई शाखायें आपको सुपुर्द कर दी जायेंगी।** फोटो कापी संलग्न है

इसके चार–पांच दिन बाद वह कटी हुई शाखाओं को राजेन्द्र व राधागोविन्द पुत्र स्व0 लख्मीचन्द, बृजमोहन पुत्र गंगा प्रसाद, राधे पुत्र नरायन व सोहन लाल घटनास्थल से दो भैंसा गाड़ी में लादकर उठा ले गये प्रार्थियों के मना करने पर थाना मांट एस0आई0 प्रबल प्रताप सिंह का प्रार्थी वेदप्रकाश शर्मा के फोन पर फोन आया, कि शाखा वन विभाग ने उन्हीं लोगों को दे दी है तुम लोग झगड़ा मत करना, ज्यादा होशियारी की तो बन्द कर दूंगा।

इसके बाद प्रार्थी ने पुनीत शुक्ला को फोन पर पूछा गया तो पुनीत शुक्ला जी ने बताया कि सुपुर्दगी किसी को भी दी जा सकती है जरूरत पड़ने पर कटी हुई सभी लकड़ी व लोग मौक पर हाजिर करेंगे। जब कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थी ने परेशान होकर उ0प्र0 के जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 19–11–2020 को शिकायत दर्ज करवायी जिसकी शिकायत

प्राप्त 03/09/2021
प्र0सं0

प्रार्थी व परिवारीजन,
पुलिस को घटना
से,अवगत कराते हुए

25

पेड़ काटते हुए राजेंद्र (तोता), कुल्हाडी के साथ
व उसके परिवारीजन